न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

प्रार्थी :–
हजारीसिंह पुत्र हनुमानसिंह दरोगा
सा. भगवानपुरा तह. नांवा

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. सायरसिंह पुत्र हनुमानसिंह दरोगा
   सा. भगवानपुरा तह. नांवा
2. उप पंजीयक नांवा
3. तहसीलदार नांवा
4. झूमरमल पुत्र बोदूराम जाट

प्रार्थना पत्र बाबंत :– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वकील प्रार्थी
श्री रामेश्वरलाल नेहरा वकील अप्रार्थी – 1, 4

मुकदमां नम्बर :– 07/2016

निर्णय दिनांक :– 13.02.2017

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम भगवानपुरा के खसरा नम्बर 285, 305 कुल रकबा 1.75 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी हक हिस्से कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि हैं जिसका आपसी सहमति से काफी वर्षो से भौतिक बंटवारा कर रखा हैं सींवे वे बाड़ लगकर अलग अलग काबिज चले आ रहे हैं। भवष्यि में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो इस लिऐ भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाकर अलग होल्डिंग कायम करवाया जाना आवश्यक हैं, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं अगर अप्रार्थी को प्रार्थी के उनकी पैतृक उपरोक्त भूमि के हक हकूक व कब्जा काश्त में किसी प्रकार का दखल या जबरन कब्जा व निर्माण कार्य, अप्रार्थी संख्या 1 नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन नहीं करने हेतु अन्य किसी को बैचान नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे तो अप्रार्थी को कोई क्षति नहीं होगी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से वाद के निर्णय तक पाबन्द किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 , 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ने आपसी सहमति से वर्षो पूर्व भौतिक बेंटवारा कर रखा हैं एवं सीव बाड डोल कर अलग अलग काबिज चले आ रहे हैं लेकिन प्रार्थी ने अपने वाद एवं प्रार्थना पत्र में भौतिक बंटवारे का उल्लेख नहीं किया हैं जबकि मौके पर बंटवारा अप्रार्थी उत्तरादाता के 1/2 हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 305 रकबा 0.68 हैक्टयर सम्पूर्ण व

13/2/17

खसरा नम्बर 285 रकबा 1.07 हैक्टयर में से पश्चिमी तरफ 0.195 हैक्टयर पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं प्रार्थी की 1/2 हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 285 में से 0.875 हैक्टयर भूमि चली आ रही हैं अप्रार्थी 1 ने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को दिनांक 29.12.2015 को ही झूमरमल पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी पांचौता को जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान कर दिया हैं उक्त बैचान के आधार पर अप्रार्थी 4 खसरा नम्बर 305 रकबा 0.68 हैक्टयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 285 में से पश्चिमी तरफ 0.195 हैक्टयर भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं अप्रार्थी 4 बैचान के दिन से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त विवादित भूमि में मौके पर भौतिक रूप से हो रखे बंटवारे के अनुसार जहां कब्जा सुपुर्द किया वहां पर काबिज काश्त चला आ रहा है, उक्त विवादित आराजीयत अप्रार्थी 1 की पैतृक हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि की हैं जिसमें 1/2 हिस्से का अप्रार्थी 1 खातेदार काश्तकार था जिसका बैचान करने का अप्रार्थी 1 को पूर्ण अधिकार था अप्रार्थी 1 ने उक्त अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बैचान अप्रार्थी 4 को कर कब्जा सुपुर्द कर दिया हैं जिससे अप्रार्थी 4 के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि बाबत प्रार्थी किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं हैं न ही अप्रार्थी 4 के हक हिस्से की भूमि बाबत प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता हैं जिससे प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी 2 , 3 के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तओं की बहस सुनी पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2069–20725 पेश की हैं जिसमें खसरा नम्बर 285, 305 कुल रकबा 1.75 हैक्टयर भूमि हजारी, सायर पि. हनुमान कौम दरोगा रावणा राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है , प्रार्थी स्वंय ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में अंकित किया हैं कि उक्त विवादित आराजीयत प्रार्थी व अप्रार्थी 1 की पैतृक हक हिस्से एंव खातेदारी की भूमि हैं जिसका वर्षो पूर्व आपसी सहमति से मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा कर लिया हैं तथा मौके पर सीवें नीवें कायम कर ली हैं लेकिन अपने प्रार्थना पत्र में बंटवारा किसी प्रकार कर मौके पर किस प्रकार से काबिज काश्त हैं यह नहीं बताया हैं अप्रार्थी 1 ने भी अपने जवाब में मौके पर भौतिक रूप से हो रखे बंटवारे को स्वीकार किया हैं जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 का उक्त विवादित आराजीयत में पैतृक 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं जिसको प्रार्थी स्वंय ने स्वीकार किया हैं अप्रार्थी 1 ने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बैचान दिनांक 29.12.2015 को जरिये रजिस्टर्ड अप्रार्थी संख्या 4 को कर मौके पर हो रखे भौतिक बंटवारे के अनुसार जहां काबिज काश्त था वहां कब्जा सुपुर्द कर दिया हैं खरीद के दिन से अप्रार्थी 1 के हक हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 4 काबिज काश्त हैं अप्रार्थी संख्या 4 ने बैचान दस्तावेज की प्रति पेश की हैं जिसका अवलोकन किया गया बैचान दस्तावेजात में अप्रार्थी संख्या 1 ने किसी प्रकार का पड़ौस अंकित नहीं किया हैं न की कोई दिशा दर्शित की हैं जिससे प्रार्थी के कब्जे काश्त व हक

17/2/17

उपखण्ड अधिकारी

हकूको पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता हो, अप्रार्थी 1 ने बैचान दस्तावेज में केवल अपने हक हिस्से एवं खातेदारी सुदा 1/2 हिस्से का बैचान किया हैं जिससे प्रार्थी का हिस्सा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो, रहा हैं अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार हैं तथा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को भी उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं पुश्तैनी भूमि हैं जिसका मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 ने वर्षो पूर्व आपसी सहमति से बंटवारा कर अलग अलग काबिज काश्त हैं जिसको प्रार्थी स्वंय ने स्वीकार किया हैं अप्रार्थी संख्या 1 को अपने घरेलू आवश्यकताओं के तहत अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि के बैचान करने का पूर्ण अधिकार था। यह सही हैं कि विवादित आराजीयत राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज हैं बंटवारा नहीं हो रखा हैं लेकिन इससे अप्रार्थी 1 को अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग या हस्तान्तरण करने से नहीं रोका जा सकता हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों संगे भाई हैं जिसको उत्तराधिकार में उक्त भूमि प्राप्त हुई हैं जिसमें दोनों को अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हैं। उक्त बैचान से प्रार्थी के हक हिस्से की 1/2 भूमि पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा हैं, मौके पर भूमि का बंटवारा किस प्रकार से हो रखा हैं यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना हैं लेकिन अप्रार्थी 4 ने उक्त विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हैं तथा अप्रार्थी 1 को उक्त बैचान के बदले प्रतिफल की राशि अदा की हैं जिसको अपनी खरीद सुदा भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि हैं जिससे किसी एक पक्षकारा को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता हैं प्रार्थी का 1/2 हिस्से का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जाना हैं। अप्रार्थी 1 उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था जिसने अपने हक हिस्से की भूमि का बैचान किसी किसी प्रकार के विशिष्ट हिस्सा अंकित करते हुऐ बैचान नहीं किया हैं जिससे प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती हैं न ही प्रार्थी को कोई अपूर्णियक्षति होना प्रतीत होता हैं जिसेस प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुल प्रार्थी के हक में प्रतीत नहीं होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में असफल रहा हैं। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/2/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)